बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना
Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna
(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

e-Tender Notice No-04/e-PROC/PATPARK/2026-27

1	विज्ञापनदाता का नाम एवं पता	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना
2	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	दिनांक—07.05.2026
3	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक—08.05.2026 समय—11:00 A.M से दिनांक—25.05.2026 05:00 P.M तक । (www.eproc2.bihar.gov.in)
4	संवेदक द्वारा निविदा अपलोड की अंतिम तिथि	दिनांक—26.05.2026 के समय 05:00 P.M बजे तक। (www.eproc2.bihar.gov.in)
5	तकनीकी बीड खोलने की तिथि	दिनांक—27.05.2026 के समय—03:00 P.M बजे। (www.eproc2.bihar.gov.in)
6	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	तकनीकी बीड में सफल होने के उपरान्त।

पटना पार्क प्रमंडल अंतर्गत निम्नांकित पार्को में कैफेटेरिया संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:—

क्र० सं०	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि (Online के माध्यम से) (www.eproc2.bihar.gov.in)	प्रतिभूति राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य (Online के माध्यम से) (www.eproc2.bihar.gov.in)	निविदा का अवधि
1	राजधानी वाटिका भाग—1 में बने कैफेटेरिया Kiosk No.-1	रु. 50,000/—	4 माह के किराये की राशि	रु. 2000/—	(दो वर्ष)
2	राजधानी वाटिका भाग—1 में बने कैफेटेरिया Kiosk No.-2		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
3	नवीन सिन्हा स्मृति पार्क में बने कैफेटेरिया (Kiosk)		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
4	शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क कैफेटेरिया		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
5	एस० के० पुरी पार्क में बने कैफेटेरिया		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
6	शिवाजी पार्क कैफेटेरिया		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
7	प्रोफेसर कॉलोनी पार्क कैफेटेरिया		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
8	सचिवालय कॉलोनी पार्क कैफेटेरिया		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)
9	लोहिया पार्क कैफेटेरिया		4 माह के किराये की राशि		(दो वर्ष)

Detailed description of the terms and conditions as well as tender form for submission of tender can be downloaded from https://www.eproc2.bihar.gov.in

Corrigendum/Attendum, if any, will be published after on the departmental website **https://state.bihar.gov.in/forest/** and e-procurement Portal Bihar **https:// www.eproc2. bihar.gov.in.**

वन प्रमंडल पदाधिकारी
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना
Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna
(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

e-Tender Notice No-04/e-PROC/PATPARK/2026-27

राजधानी वाटिका Kiosk–1, राजधानी वाटिका Kiosk–2, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, एस० के० पुरी पार्क, शिवाजी पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, सचिवालय कॉलोनी पार्क एवं लोहिया पार्क में अवस्थित कैफेटेरिया Kiosk के संचालन हेतु

ई–निविदा की शर्तें :–

पटना पार्क प्रमंडल अतंर्गत राजधानी वाटिका अवस्थित कैफेटेरिया Kiosk No-1 एंव कैफेटेरिया Kiosk No-2, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, एस०के०पूरी पार्क, शिवाजी पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, सचिवालय कॉलोनी पार्क एवं लोहिया पार्क में पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये कैफेटेरिया Kiosk (जो जहाँ है, जिस रूप में है) के संचालन हेतु इस कार्य में अनुभवी फर्मो/रेस्तराँ/Kiosk संचालकों से ई–निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक–26.05.2026 के अपराह्न 5:00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना द्वारा आमंत्रित की जाती है।

1. राजधानी वाटिका अवस्थित कैफेटेरिया Kiosk No-1 एंव कैफेटेरिया Kiosk No-2, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, एस०के०पूरी पार्क, शिवाजी पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, सचिवालय कॉलोनी पार्क एवं लोहिया पार्क में अवस्थित Kiosk के संचालन हेतु ई–निविदा समर्पित की जायेगी। सभी निविदाओं के लिए **एक ही तकनीकी निविदा** एवं वित्तीय निविदा **अलग–अलग पार्कों के Kiosk के लिये अलग–अलग विहित प्रपत्र में दर अंकित की जायेगी।**
2. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाताओं को ई–निविदा के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, जहाँ उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ ई–टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क 'mjunction services Ltd., R.J. Complex, 2nd Floor, Khajpura-Ashiana Road, Opp. Passport Office, P.S. Shastri Nagar, Patna- 800014, Toll Free No. 1800 572 6571, Email Id: eproc2support@bihar.gov.in' से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड किये जा सकते हैं जिसके लिए रू० 2000/– (दो हजार रूपये) का ई–पेमेंट मोड (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) से भुगतान करना होगा। उसी प्रकार www.eproc2.bihar.gov.in को टेन्डर प्रोसेसिंग फीस का भुगतान भी ई–पेमेंट मोड से करना होगा। ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा टेन्डर प्रोसेसिंग फीस अप्रत्यर्पणीय होगा।
4. निविदाकर्त्ता द्वारा ई–पेमेंट मोड (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) से 50,000/– अग्रधन राशि के रूप में भुगतान करना होगा।
5. तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदा का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
6. विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. केवल कम्पनी/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति/निविदादाता निविदा समर्पित कर सकेंगे जो स्टॉल/रेस्टोरेन्ट में कार्य करने का अनुभव रखते हों। निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता सरकारी/गैर सरकारी/निजी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/निगम/होटल या अन्य निजी प्रतिष्ठान में रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया चलाने का कम–से–कम दो वर्ष का अनुभव हो। इसके लिए प्रतिष्ठान से संतोषप्रद रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया चलाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अथवा निविदादाता को स्टॉल/रेस्टोरेन्ट चलाने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो। जिसका प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र निविदादाता को देना होगा।
9. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में (Black list) निविदा कर्त्ता का नाम दर्ज होने या न होने संबंधी नोटरी द्वारा निर्गत घोषणा पत्र तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. सभी अभिलेख/कागजात की सत्यता से संबंधित नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

11. निविदादाता का **वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रूपया 10.00 लाख (दस लाख) रूपये होना चाहिए।** निविदादाता को विगत दो वर्ष के वार्षिक टर्न–ओवर का सत्यापित अभिलेख तकनीकि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
12. Kiosk से बेचे जाने वाले खाद्य सामाग्रियों की पृथक–पृथक सूची भी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
13. आयकरदाता होने का प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड) एवं विगत् दो वर्षों का आयकर रिर्टन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
14. निविदादाता को G.S.T में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा अद्यतन रिटर्न की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
15. निविदाकर्त्ता को खाद्य संरक्षा विभाग (FSSAI), E.S.I, E.P.F से निबंधित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
16. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन प्रत्येक कैफेटेरिया Kiosk के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित दर प्रतिमाह किराया दर में अधिकतम अर्पित दर के आधार पर तय किया जाएगा। इस निविदा के अंर्तगत प्रत्येक कैफेटेरिया के लिए अलग–अलग वित्तीय निविदा अमंत्रित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत यद्यपि तकनीकी निविदा हेतु सभी कैफेटेरियों के लिए शर्त्तों के अनुपालनार्थ समान अभिलेख समर्पित किये जायेगे परन्तु वित्तीय निविदा हेतु प्रत्येक कैफेटेरिया के लिए अलग–अलग दर समर्पित करेगें। सफल निविदा कर्त्ता का चयन सभी कैफेटेरियों के सकल योग के आधार पर नही किया जायेगा, अपितु प्रत्यके कैफेटेरिया के लिए समर्पित दरों में अधिकतम समर्पित दर के आधार पर प्रत्यके कैफेटेरिया के लिए सफल निविदाकर्त्ता का चयन (बशर्तें वह तकनीकी निविदा में सफल हो) किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता को **रू० 1000/–(एक हजार रूपये मात्र)** मूल्य के नन जुडिसियल स्टाम्प जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें कैफेटेरिया संचालन की सभी शर्त्तों का उल्लेख होगा।
18. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य सामाग्रियों के दर को वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। सामाग्रियों के दर पर अनुमति के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से शीघ्र कैफेटेरिया का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा कैफेटेरिया के संचालन प्रारंभ करने में बिना किसी कारण विलंब करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदाकर्त्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा और द्वितीय निविदाकर्त्ता से Kiosk संचालन कराने की कार्रवाई की जायेगी।
19. प्रतिभूति जमा राशि :– सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 4 (चार) माह का अग्रिम किराया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डीसीआर/एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी को प्रतिभूति राशि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल पटना के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा। यदि सफल निविदादाता शर्तो के अनुकुल सफलता पूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा प्रतिभूत राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
20. सफल निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह के **5 (पाँच) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया एवं जी.एस.टी. का भुगतान** अधोहस्ताक्षरी के पदनाम का बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। 5 वीं (पाँच) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा न करने की स्थिती में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्धयात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। लगातार तीन माह तक किराया (3% वृद्धायात्मक शुल्क सहित) जमा न करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये निविदा रद्द कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा, साथ ही साथ कैफेटेरिया में रखे सारे सामानों को जप्त कर लिया जोयगा। शेष राशि की वसूली के लिए उनपर विधिवत् कार्रवाई की जायेगी। किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को होगा।
21. विद्युत बिल का भुगतान– सफल निविदाकर्त्ता को किराया के साथ–साथ विद्युत उपयोग का भुगतान भी अलग से देना होगा। विद्युत बिल का भुगतान मीटर रिंडिंग के अनुसार व्यवसायिक दर पर होगा।

22. सामग्रियों की बिक्री वाटिका (पार्क) क्षेत्र तक सीमित रहेगी। बिक्री का समय वाटिका (पार्क) के खुलने और बंद होने के बीच रहेगा। राजधानी वाटिका सहित एवं अन्य पार्कों को बन्द होने के बाद एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर पार्कों को अन्य दिन भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी कैफेटेरिया को बन्द रखना होगा और इसके लिए पार्क प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की छुट नहीं दी जाएगी। सफलतम निविदादाता को कैफेटेरिया संचालन हेतु खाद्य सामग्री पार्क में ले जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में सामग्री कैफेटेरिया में लाया जा सकता है।
23. निविदा रद्दीकरण :– सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति, कैफेटेरिया संचालन एवं खाद्य सामाग्रीयों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा कैफेटेरिया संचालन से पार्क पर प्रतिकुल प्रभाव की सम्भावना होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल किसी भी समय नोटिस देकर निविदा रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।
24. कैफेटेरिया में किसी प्रकार का **मांसाहारी** खाद्य पदार्थ एवं **नशीले पदार्थ** नहीं बेचा जा सकेगा। कैफेटेरिया संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न हीं बेचा जायेगा। बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को सूची से हटाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल को होगा।
25. निविदा की सामान्य अवधि 02 (दो वर्ष) की है, परन्तु विशेष परिस्थिति में ही कैफेटेरिया संचालन कार्य संतोषप्रद होने पर मासिक किराया के दर में 10% की वार्षिक वृद्धि पर अवधि विस्तार करने पर निविदा समिति की सहमति से विचार किया जा सकता है।
26. खाद्य सामाग्रियों से संबंधित समय–समय पर निर्गत सरकारी आदेशों का अनुपालन कैफेटैरिया संचालक के लिए अनिवार्य होगा।
27. कैफेटेरिया के आस–पास की जगह को हमेशा साफ–सुथरा रखना होगा। कैफेटेरिया संचालक को बचा हुआ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा करना होगा। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में पार्क के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा।
28. कैफेटेरिया संचालक द्वारा बेचे जाने वाले सभी सीलबन्द सामग्रियों को निर्धारित एम.आर.पी. पर ही बेचना होगा। सामग्रियों को तैयार करने में गैस स्टोव/इंडक्शन स्टोव का उपयोग वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल के अनुमति से किया जा सकेगा।
29. राजधानी वाटिका अवस्थित कैफेटेरिया Kiosk No-1 एंव कैफेटेरिया Kiosk No-2, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, एस०के०पूरी पार्क, शिवाजी पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, सचिवालय कॉलोनी पार्क एवं लोहिया पार्क शांत क्षेत्र है। इसलिए कैफेटेरिया में किसी प्रकार का शोर–शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा। वाटिका धुम्रपान, प्लास्टिक वर्जित क्षेत्र है। इसलिए पार्क में धुम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
30. संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर **दस हजार रूपये का अर्थदण्ड** लगाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी को होगा।
31. कैफेटेरिया में अन्य किसी प्रकार की सुविधा वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुमति से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
32. किसी भी निविदा को किसी भी समय स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को सुरक्षित रहेगा।
33. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेगें कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढवाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते है।
34. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र पटना जिला होगा।

Ayush

वन प्रमंडल पदाधिकारी
पटना पार्क प्रमंडल, पटना

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना
Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna
(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

e-Tender Notice No-04/e-PROC/PATPARK/2026-27

तकनीकी निविदा प्रपत्र—क

1 निविदादाता /फर्म/ रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ)................................
....

2 निविदादाता /फर्म/ रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः................................
....

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	परिमाण विपत्र का मूल्य 2,000/— का ऑनलाईन माध्यम से भुगतान किये जाने का प्रमाण संलग्न करेगें		
2	अग्रधन की राशि 50,000/— का ऑनलाईन माध्यम से किये गये भुगतान का प्रमाण संलग्न करेगें।		
3	ESI & EPF से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	FSSAI से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
6	पैन/टैन के निबंधन एवं विगत् दो वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
7	पहचान—पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण—पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
8	Koisk में बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की पृथक—पृथक सूची एवं Koisk के संचालन के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना।		
9	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार—पत्र की मूलप्रति।		
10	कार्यानुभव प्रमाण—पत्र		
11	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/न होने संबंधी नोटरी का घोषणा—पत्र।		
12	आवेदक का चरित्र प्रमाण—पत्र (सरकार के निदेशानुसार)		
13	समर्पित कागजात/अभिलेख की सत्यता संबंधित नोटरी का मूल शपथ—पत्र।		

स्थान : ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

पूरा नाम —

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः–वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना

Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna

(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

e-Tender Notice No-04/e-PROC/PATPARK/2026-27
वित्तीय निविदा प्रपत्र–ख

1. निविदादाता /फर्म/ रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ)......................................
....
2. निविदादाता /फर्म/ रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः..................................
....
3. कैफिटेरिया उपयोग हेतु मासिक किराया दर –

1. राजधानी वाटिका भाग–1 में बने कैफेटेरिया Kiosk No.-1

क्र० सं०	कैफेटेरिया Kiosk का नाम	अर्पित किराया दर प्रतिमाह (अंक में)	अर्पित किराया दर प्रतिमाह (शब्दों में)
1	राजधानी वाटिका भाग–1 में बने कैफेटेरिया Kiosk No.-1		
2	राजधानी वाटिका भाग–1 में बने कैफेटेरिया Kiosk No.-2		
3	नवीन सिन्हा स्मृति पार्क में बने कैफेटेरिया (Kiosk)		
4	शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क कैफेटेरिया		
5	एस० के० पुरी पार्क में बने कैफेटेरिया		
6	शिवाजी पार्क कैफेटेरिया		
7	प्रोफेसर कॉलोनी पार्क कैफेटेरिया		
8	सचिवालय कॉलोनी पार्क कैफेटेरिया		
9	लोहिया पार्क कैफेटेरिया		

- वित्तीय निविदा में अर्पित दर प्रतिमाह सभी पार्कों के लिए अलग–अलग अंक एवं शब्द में उल्लेख किया जाना है। अधिकतम (H^1) अर्पित दर पर विचार किया जायेगा।
- निविदाकर्त्ता द्वारा घोषणा :– मेरे द्वारा उपर्युक्त अंकित दर संबंधित पार्क के लिये प्रतिमाह की दर से अंकित किया गया है। निविदा में सफल होने पर संबंधित पार्क में कैफेटेरिया का संचालन की जायेगी और सभी शर्तों का पालन करूँगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

पता–

मोबाईल नं०–

ई–मेल पता–

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः–वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना
Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna
(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

पत्रांकः–.......................

प्रेषक,

पीयूष कुमार बरनवाल, भा०व०से०
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक ..../...../...............

विषयः– **पटना पार्क प्रमंडल, पटना के नियंत्राधिन राजधानी वाटिका अवस्थित कैफेटेरिया Kiosk No-1 एंव कैफेटेरिया Kiosk No-2, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, एस०के०पूरी पार्क, शिवाजी पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, सचिवालय कॉलोनी पार्क एवं लोहिया पार्क में अवस्थित कैफेटेरिया के संचालन हेतु e-Tender Notice no.-03/e-PROC/PATPARK/2026-27 के सूचना प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक पटना पार्क प्रमंडल, पटना के नियंत्राधिन राजधानी वाटिका अवस्थित कैफेटेरिया Kiosk No-1 एंव कैफेटेरिया Kiosk No-2, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, एस०के०पूरी पार्क, शिवाजी पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, सचिवालय कॉलोनी पार्क एवं लोहिया पार्क में अवस्थित कैफेटेरिया के संचालन हेतु e-Tender Notice no.-04/e-PROC/PATPARK/2026-27 दिनांक–26.05.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न ई–निविदा सूचना राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक.................दिनांक.............../............../..............
प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक 768 दिनांक 6 / 5 / 2026
प्रतिलिपिः–आई.टी.मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निविदा सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Piyush
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।